प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (227) संख्यांक 6144/2009</u>

याचिकाकर्तागण : डी.ए. कुमार एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(एकलपीठ : माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

उपस्थित : याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री सुशोभित सिंह, अधिवक्ता।

राज्य/ उत्तरवादीगण की ओर से श्री जी.डी. वासवानी, सरकारी अधिवक्ता।

<u>(मौखिक आदेश)</u>

<u>दिनांक 24.01.2011 को पारित</u>

1. दिनांक 15.09.2009 के आदेश (अनुलग्नक **P**/1) की वैधता एवं औचित्य, जो द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), छत्तीसगढ़ द्वारा पारित किया गया है तथा जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की पुनर्निरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि: एक श्री एस.ए. मेस्सी ने थाना प्रभारी, थाना जांजगीर के समक्ष याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता को परेशान करने तथा धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त शिकायत के आधार पर जांच की गई, कुछ व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा शांति भंग करने तथा लोक शांति में खलल डालने की संभावना है अतः थाना प्रभारी, थाना जांजगीर ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जांजगीर के समक्ष इश्तगासा प्रस्तुत किया। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने थाना प्रभारी से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 06.04.2009 को प्रारंभिक आदेश (अनुलग्नक पी/2) पारित किया तथा साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 116(3) के अंतर्गत आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं को 5,000/- रुपये का निजी मुचलका तथा इतनी ही राशि का प्रतिभूति जमा करने का निर्देश दिया तथा मामले को याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति के लिए दिनांक 22.04.2009 नियत किया। अंततः दिनांक 22.10.2009 (अनुलग्नक आर/1) को कार्यवाही समाप्त कर दी गई। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 06.04.2009 के आदेश को याचिकाकर्ताओं ने पुनर्निरीक्षण न्यायालय में चुनौती दी थी तथा पुनर्निरीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त पुनर्निरीक्षण खारिज कर दिया। इसी के विरुद्ध वर्तमान याचिका दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशोभित सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का प्रयोग किये बिना तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, धारा 110, धारा 111 तथा धारा 116(3) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किए बिना, एक रूढ़िगत ढंग से आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो स्वयं-सिद्ध रूप से अवैध है तथा याचिकाकर्ताओं के चरित्र और प्रतिष्ठा को दूषित करता है, इसलिए यह रद्द किये जाने योग्य है।

4. दूसरी ओर, राज्य/ उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित श्री जी.डी. वासवानी, शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि कार्यवाही पहले ही समाप्त कर दी गई है, इसलिए याचिका में कुछ भी शेष नहीं रह गया है और यह निष्फल हो गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुनने के बाद, आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107(1) के अनुसार, जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने या लोक शांति में बाधा डालने की संभावना रखता है अथवा कोई ऐसा गलत कार्य करने की संभावना रखता है जिससे शांति भंग होने या लोक शांति में बाधा पड़ने की संभावना हो, और मजिस्ट्रेट का यह मत हो कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त

आधार मौजूद है, तो वह आगे वर्णित रीति से ऐसे व्यक्ति से कारण बताने की मांग कर सकता है कि उसे क्यों न आदेश दिया जाए कि वह शांति बनाए रखने के लिए एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जैसी अवधि मजिस्ट्रेट ठीक समझे, बंधपत्र (प्रतिभुओ के साथ या बिना जमानतदारों के) निष्पादित करने का आदेश न दिया जाए।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 यह प्रावधान करती है कि जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 107, धारा 108, धारा 109 अथवा धारा 110 के अधीन कार्य करते हुए यह आवश्यक समझे कि किसी व्यक्ति से ऐसी धारा के अधीन कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जाए, तो वह लिखित आदेश पारित करेगा जिसमें प्राप्त सूचना का सार, निष्पादित किए जाने वाले बंधपत्र की राशि, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा तथा आवश्यक प्रतिभुओ (यदि कोई हों) की आक्षेपित संख्या, प्रकार तथा वर्ग बनाते हुए लिखित आदेश देगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 113 के अनुसार, यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसे उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करेगा, अथवा जब ऐसा व्यक्ति हिरासत में हो, तो उस अधिकारी को जिसकी अभिरक्षा में वह है, उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देने वाला वारंट जारी करेगा।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 114 यह प्रावधान करती है कि धारा 113 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन या वारंट धारा 111 के अधीन पारित आदेश की

प्रति के साथ संलग्न होगा तथा ऐसी प्रति सम्मन या वारंट तामील करने या निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है या जिसे उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है, सुपुर्द की जाएगी।

10. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116(1) यह उपबंध करती है कि जब धारा 111 के अधीन आदेश को न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को धारा 112 के अधीन पढ़कर सुनाया या समझाया गया हो, अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी सम्मन या वारंट की अनुपालना में या उसके निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उस सूचना की सत्यता की, जिस पर कार्यवाही की गई है, जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा तथा ऐसी अतिरिक्त आगे की साक्ष्य ग्रहण करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. धारा 116(2) के अनुसार, ऐसी जांच यथासंभव व्यावहारिक रूप से, आगे वर्णित रीति से, सम्मन मामलों में विचारण करने तथा साक्ष्य अभिलेखित करने के लिए निर्धारित रीति के करीब से की जाएगी। धारा 116(3) यह उपबंध करती है कि उप-धारा (1) के अधीन जांच आरंभ होने के बाद तथा उसके पूर्ण होने से पूर्व, यदि मजिस्ट्रेट यह मानता है कि शांति भंग होने या लोक शांति में बाधा पड़ने की रोकथाम अथवा किसी अपराध के किए जाने की रोकथाम अथवा लोक सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय आवश्यक हैं, तो वह लिखित रूप में कारण अभिलेखित करके, जिस व्यक्ति के संबंध में धारा 111 के अधीन आदेश किया

गया है, उसे जांच के समाप्त होने तक शांति बनाए रखने या सद्व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रतिभुओ सहित के साथ या बिना बंधपत्र के जमानत निष्पादित करने का निदेश दे सकता है तथा ऐसे जमानत निष्पादित होने तक उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है अथवा निष्पादन में चूक होने की दशा में जांच के समाप्त होने तक उसे निरुद्ध रख सकता है।

12. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी/2) का साधारण अवलोकन ही यह प्रकट कर देता है कि उक्त आदेश याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में पारित किया गया था। आदेश के प्रथम भाग से पता चलता है कि जांजगीर के थाना प्रभारी से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है, क्योंकि उसके मत में याचिकाकर्ता शांति भंग करने की संभावना रखते थे, इसलिए उसने प्रारंभिक आदेश पारित किया। आदेश के प्रथम भाग को समग्र रूप से साधारणतः पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के अनुसार पारित नहीं किया गया है, क्योंकि न तो प्राप्त सूचना का सार उल्लिखित किया गया है और न ही निष्पादित की जाने वाली जमानत की राशि, उसकी प्रवृतन अवधि तथा आवश्यक प्रतिभुओ (यदि कोई हो) की संख्या, प्रकार एवं वर्ग का उल्लेख किया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश कारण बताओ के रूप में भी नहीं है, वास्तव में यह साइक्लोस्टाइल्ड (छापा हुआ प्रारूपित) आदेश है। इसके द्वितीय भाग से पता चलता है कि यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116(3) के अधीन पारित किया गया है जिसमें याचिकाकर्ताओं को 5,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि का सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जबकि धारा 116(3) के अधीन धारा 111 के अधीन आदेश पारित होने के बाद मजिस्ट्रेट को उस सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए आगे बढ़ना होता है जिस पर कार्यवाही की गई है तथा ऐसी आगे की साक्ष्य ग्रहण करनी होती है जो आवश्यक प्रतीत हो, और ऐसी जांच आरंभ होने के बाद तथा उसके पूर्ण होने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट यह मानता है कि तत्काल उपाय आवश्यक हैं तभी वह अंतरिम बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यहां तत्काल मामले में, एक ही साइक्लोस्टाइल प्रारूप में रिक्त स्थानों को भरकर, मजिस्ट्रेट ने इसके प्रथम भाग में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के अधीन आदेश पारित किया तथा द्वितीय भाग में धारा 116(3) के अधीन आदेश पारित किया, जो स्वयं में अवैध है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 107 एवं 116 में निहित उपबंधों के विरुद्ध है।

14. उच्च न्यायलय ने मधु लिमये तथा अन्य बनाम वेद मूर्ति तथा अन्य[1] मामले में अपने निर्णय के कंडिका 15 एवं 16 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> 15. अतः प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट ने सूचना की सत्यता की जांच आरंभ किए बिना ही धारा 117(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग किया। उसने किसी भी प्रकार का कोई शपथ-पत्र प्राप्त नहीं किया तथा सूचना के समर्थन में गवाहों को तलब किए बिना याचिकाकर्ताओं की परीक्षा के लिए मामलों को स्थगित कर दिया। फिर भी, उसने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम बंधपत्र प्रस्तुत करने अथवा कारागार जाने का निर्देश दिया।
>
> 16. हमें प्रतीत होता है कि इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम बंधपत्र मांगने की शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया था और फलस्वरूप याचिकाकर्ताओं को अंतरिम बंधपत्र प्रस्तुत करने का आदेश नहीं दिया जा सकता था। दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के अधीन वह अवस्था अभी प्राप्त नहीं हुई थी। मजिस्ट्रेट अंतरिम बंधपत्र केवल तभी मांग सकता था यदि वह जांच पूर्ण नहीं कर पाता और जांच के पूर्ण होने के दौरान यह पूर्वानुमान करता है कि जांच का आरंभ हो चुका है, जिसका अर्थ है सम्मन प्रक्रिया के अनुसार विचारण का आरंभ होना। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं था कि वह मामले को स्थगित कर दे, किसी को न सुने और फिर भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 970STPL(LE)5191 SC

याचिकाकर्ताओं से सद्व्यवहार के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करने की मांग करे। मजिस्ट्रेट को कम से कम बृज मोहन बनाम वेद मूर्ति भट्ट अथवा चालान में नामित किसी गवाह से बयान प्राप्त करने का कुछ प्रयास तो करना चाहिए था। इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई। इसलिए, अंतरिम बंधपत्र मांगने की कार्यवाही पूर्णतः अवैध थी।

15. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बाबूलाल तथा अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2]मामले में अपने निर्णय के कंडिका 13 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अंत में, इस प्रकार के गंभीर मामलों में, जहां धारा 111 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायिक मनन के प्रयोग तथा संतुष्टि के अभिलेखन की अपेक्षा की जाती है, पूर्व-साइक्लोस्टाइल्ड प्रपत्रों/प्रोफार्मा आदेशों का प्रयोग करने की प्रचलित प्रथा, जिसमें रिक्त छोड़े गए स्थानों में कुछ प्रविष्टियां की जाती हैं, को स्पष्ट शब्दों में निंदनीय ठहराया जाना चाहिए। यह अकल्पनीय है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित किए जाने वाले न्यायिक आदेशों को साइक्लोस्टाइल्ड प्रोफार्मा तक सीमित कर दिया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता से संलग्न द्वितीय अनुसूची में विभिन्न प्रकार के प्रपत्र दिए गए हैं। विधायिका का कभी भी यह आशय नहीं था कि धारा 111 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन

[2] 1990STPL(LE-Crim) 11751 MP

पारित करने के लिए प्रोफार्मा आदेश उपलब्ध कराए जाएं। उप-खंड मजिस्ट्रेट तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों पर, जो धारा 111 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन ऐसे पूर्व-साइक्लोस्टाइल्ड आदेशों का प्रयोग करते हैं, यह प्रभावित किया जाना आवश्यक है कि वे इस प्रथा को तत्काल त्याग दें, अन्यथा कार्यवाहियां इस याचिका जैसी ही दशा को प्राप्त हो सकती हैं।

16. उपरोक्त के प्रकाश में, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 तथा 116 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं किया है और बिना यह ज्ञात किए कि उसे क्या करना है, स्टिरियोटाइप (यांत्रिक/रूढ़िगत) तरीके से आदेश पारित किया है तथा आदेश स्वतः अवैध है और रद्द किए जाने योग्य है, तथापि, इस तथ्य के प्रकाश में कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किए बिना कार्यवाही पहले ही समाप्त कर दी गई है, वर्तमान याचिका इस टिप्पणी के साथ निराकृत की जाती है कि याचिकाकर्ताओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116 (3) के अंतर्गत अंतरिम बंधपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाला आदेश अवैध और शून्य है तथा उपरोक्त आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया बंधपत्र अमान्य है।

17. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

एन.के. अग्रवाल,

न्यायधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By : ईशा तिवारी